

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ.वी. १(१)स्था / ब-१/ २०१६/ २७१४

दिनांक: ३०-९-२०१६

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित पशु चिकित्सा सहायकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर कर पदस्थापन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को
1	श्री छीतरलाल वैरवा	प्र.श्रे.प.चि. सरोला कलां, झालावाड़	प्र.श्रे.प.चि. असनावर, झालावाड़
2	श्री लालजी मोलात	प.चि. चुण्डावाडा, ढूंगरपुर	प.चि. विच्छीवाडा, ढूंगरपुर
3	श्री महिपाल जैन	प.चि. विच्छीवाडा, ढूंगरपुर	बहुउद्देशीय प.चि. ढूंगरपुर
4	श्री लवजी पारगी	बहुउद्देशीय प.चि. ढूंगरपुर	प.चि. निठाउवा गामडी, ढूंगरपुर
5	श्री रामचन्द्र पारगी	प.चि. लसाडिया, उदयपुर	प.चि. वल्लभनगर, उदयपुर
6	श्री अरुण कुमार व्यास	प.चि. मोटागांव, बांसवाडा	प.चि. लोहारिया, बांसवाडा
7	श्री जगदीश प्रसाद जीनगर	प.चि. कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर	पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
8	श्री शंकरलाल कटारा	पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	प्र.श्रे.प.चि. सरोदा, उदयपुर
9	श्री महावीर प्रसाद वैष्णव	प्र.श्रे.प.चि. आगूचा, भीलवाडा	पशुओषधालय कोटडी भादवों की, भीलवाडा

क.सं. 1, 2, 3, 5 एवं 7 पर अंकित कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा।

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक: 2593-2690 दिनांक 24.09.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- क.सं. 9 पर अंकित श्री शंकरलाल डामोर का पदस्थापन प.चि. सिमलवाडा, ढूंगरपुर के स्थान पर प.चि. रठाजना, प्रतापगढ़ किया जाता है।
- क.सं. 14 पर अंकित श्री नेतराम गुर्जर का नाम विलोपित किया जाता है।
- क.सं. 16 पर अंकित श्री लक्ष्मणलाल गमेती का पदस्थापन पशु औषधालय, लालपुरा, उदयपुर के स्थान पर प्र.श्रे.प.चि. माउण्ट आबू, सिरोही किया जाता है।
- क.सं. 25 पर अंकित श्री परमानन्द शर्मा का पदस्थापन प्र.श्रे.प.चि. बर्डोद, अलवर के स्थान पर प.चि. करनी कोट, अलवर किया जाता है।
- क.सं. 29 पर अंकित श्री गणपत सिंह राठोड़ का पदस्थापन पशु औषधालय, बगड़ी, टोंक के स्थान पर पशु औषधालय, सालग्यावास, टोंक किया जाता है।
- क.सं. 30 पर अंकित श्री मालीराम आर्य का पदस्थापन प्र.श्रे.प.चि. शाहपुरा, जयपुर के स्थान पर प्र.श्रे.प.चि. अचरोल, जयपुर किया जाता है।

३०
(डा. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक: एफ.वी. १(१)स्था / ब-१/ २०१६/ २७१५-२७८५

दिनांक: ३०/९/२०१६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
- संबंधित प्रभारी, पशुपालन विभाग।
- संबंधित कर्मचारी।
- रक्षित पत्रावली।


निदेशक